

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
25 / 2025

दायर दिनांक  
19.02.2025

निर्णय दिनांक  
01.04.2025

- अनवान  
1. सीमा पुत्री मोहन जाति सुथार आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीया

बनाम

1. बन्शीलाल पिता भेराजी जाति सुथार आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. शंकरलाल पिता भेराजी जाति सुथार आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. हिरालाल पिता रामा ब्राह्मण जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
4. रामलाल पिता दीपाजी जाति तेली आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. कालु पिता प्रहलाद ब्राह्मण जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़  
एकतरफा

अप्रार्थीगण  
प्रार्थीया  
अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मुंगाना पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 902 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 4634, 4635, 4636 कुल किता 03 कुल रकबा 0.67 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे काशत की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीया की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थीया वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 01.04.2025 को विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एक तरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 3 व 5 के विरुद्ध वकील प्रार्थी द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर कर कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाही झॉप की गई। हाजिर वकील प्रार्थीया द्वारा एक



सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

तरफा बहस बाबत निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस एकतरफा सुनी गयी। हाजिर वकील प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीया अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वारते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीया आराजीयात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीया की खातेदारी की आराजीयात मौजा मुंगाना पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 902 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 4634, 4635, 4636 कुल किता 03 कुल रकबा 0.67 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 धमाणा को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीया से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 01.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*Ray*  
(राजेश सुवालका)  
सुप्रीम कोर्ट अधिकारी  
(सुप्रीम कोर्ट अधिकारी)  
कपासन, जिला-चित्तौडगढ़